अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक– प0 नि0 – 30–167/2021 3256

दिनांक: 24.8.21

प्रेषक,

सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग, बिहार पटना

पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना

विषयः– पंचायत आम निर्वाचन, 2021– विधि व्यवस्था के संबंध में।

प्रसंग– राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना का पत्रांक 1479 दिनांक– 09.12.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों को निरूत्साहित किया जाए तथा उनके विरूद्ध अभी से सरकार के पास उपलब्ध वैधानिक विकल्पों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

विदित है कि पंचायत आम निर्वाचन 2011 के अवसर पर केवल मतदान के दिन प्रतिवेदित घटनाएँ जिसमें आग्नेयास्त्र बरामदगी 13, कारतूस बरामदगी 238, वाहन जप्ती 1699, नगद जप्ती 10,68,262, शराब जप्ती 493 ली0, मोबाईल जप्ती 188, कुल गिरफ्तारी 8328, चार्ज सीट 604 का उल्लेख है। इसी प्रकार पंचायत आम निर्वाचन 2016 के अवसर पर भी मतदान के दिन घटनाएँ हुई थी, जिसमें वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के एक मतदान केन्द्र पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई वहीं इसी जिले के महुआ प्रखंड के एक मतदान केन्द्र से 300 मी0 की दूरी पर गोला बारी की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया था। मतदान के दिन के घटनाओं पर काबू पाने के लिए आवश्यक है कि अभी से असामाजिक तत्वों एवं उपद्रवी तत्वों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विधिसम्मत (सक्रिय (effective)) कार्रवाई की जाएः–

(1) विगत पंचायत आम निर्वाचन के दौरान Booth Capturing एवं अन्य निर्वाचन संबंधी अपराध से संबंधित स्थानों का मैप तैयार किया जाए।

(2) निर्वाचन संबंधी आपराधिक मामलों का डाटाबेस तैयार किया जाए।

(3) लंबित गैर जमानती वारंट एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराया जाए।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अधीन असामाजिक/उपद्रवी एवं अशांति पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कराया जाए।

(5) ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस गश्ती तेज कराया जाए एवं भेद्य तथा संवेदनशील स्थानों का मैप तैयार किया जाए ।

(6) सूचना के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से अवैध रूप से वितरण किए जाने वाली नगद राशि/सामग्री को छापेमारी कर जप्त करते समय यह ध्यान रखा जाये कि जप्त राशि/सामग्री का संबंध निश्चित रूप से निर्वाचन से हो।

(7) Bihar Excise (Amendement) Act 2016 का पूर्ण अनुपालन कराया जाए।

(8) लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन कराया जाए।

(9) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव कराने हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का मैप और चुनावी हिंसा की भी मैंपिग तैयार कर ली जाए ताकि मतदान सुगमता से कराया जा सके।

(10) अन्य वैधानिक उपाय जो स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए आवश्यक हो।

आदर्श आचार संहिता पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से सभी जिलों के पंचायत निकाय क्षेत्रों में लागू हो जाएगी एवं संबंधित जिले के अंतिम चरण के विधिवत रूप से परिणाम घोषणा तक यह जारी रहेगी। विधि व्यवस्था एवं आर्दश आचार संहिता से संबंधित प्रतिवेदन हेतु निम्नलिखित डिजिटाईज्ड प्रपत्र तैयार किये गये है, जो राज्य निर्वाचन आयोग के वेवसाईट पर उपलब्ध है।

1. विधि व्यवस्था का दैनिक प्रतिवेदन प्रपत्र–Law & Order Report
2. आदर्श आचार संहिता प्रपत्र–MCC-I, MCC-I A एवं MCC-II

तत्काल विधि व्यवस्था का प्रतिवेदन और इसके साथ आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रतिवेदन आदर्श आचार संहिता लागू होने पर प्रति दिन जिला द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के वेवसाईट पर Entry कर उसे अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग एवं पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को भेजा जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर प्रविष्टि का अनुश्रवण संबंधित प्रमंडल के प्रंमडलीय आयुक्त तथा संबंधित क्षेत्र/प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

पुलिस महानिदेशक/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार के स्तर से समेकित प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग को प्रति दिन भेजा जायेगा।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी जिला दण्डाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को अपने क्षेत्राधीन पंचायत आम निर्वाचन 2021 को निष्पक्ष एवं स्वच्छ कराने हेतु

आयोग के निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से करने के लिए निदेशित करते हुए आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रतिवेदन आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के उपरांत तथा विधि व्यवस्था से संबंधित प्रतिवेदन वर्त्तमान समय से ही प्रतिदिन सभी जिलों से प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नकः 1. विधि व्यवस्था का दैनिक प्रतिवेदन प्रपत्र–Law & Order Report

2. आदर्श आचार संहिता प्रपत्र–MCC-I, MCC-I A एवं MCC-II

3. User Manual

विश्वासभाजन

ह० अपठनीय

सचिव

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna-800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506994 Fax : 0612-2507847 E-mail : secbihar@gmail.com

D:PM7\P_E Law & Order